



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 124-2017/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 17, 2017 (ASADHA 25, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 जुलाई, 2017

संख्या: 58/एसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,—

(अ) अनुसूची-I 2.5%

- खाना 3 के नीचे, क्रम संख्या 35 के सामने, “ काफी, चाहे भर्जित या कैफिन रहित है या नहीं” शब्दों के स्थान पर “ काफी भर्जित, चाहे कैफिन रहित है या नहीं” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- खाना 1,2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 103, तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“103(अ)	2302	चोकर, तीक्ष्ण और अन्य अपशिष्ट, चाहे वह गुटिका के रूप में हों या नहीं, धान्य के या फलीदार पौधों के, पेषण या अन्य कार्य से व्युत्पन्न हो [जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य, सूखी घास और पुआल, दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूँ का चोकर और तेल निकाला गया केक से भिन्न]”;
---------	------	---

- खाना 2 के नीचे, क्रम संख्या 165 के सामने, “2710 19 00” अंकों के स्थान पर “2711 19 00” अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- खाना 2 के नीचे, क्रम संख्या 234 के सामने, “84 या 85” अंकों तथा शब्द के स्थान पर “84, 85 या 94” अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(आ) अनुसूची-II 6%

- (i) खाना 1,2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 16, तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां स्थापित करें—

“16(अ)	0805	निम्बुकुल फल, जैसे कि नारंगियां, मँडारिन, (जिसके अन्तर्गत टेन्जेरीन और सटसूमसयी हैं); क्लेमेन्टाइन, विलकिंग और अन्य वैसे ही निम्बुकुल हाईब्रिड, अंगूर फल जिसके अंतर्गत पौमलोस भी है, नींबू (निम्बुकुल नींबू, निम्बुकुल लिमोलम) और लाइम (निम्बुकुलआरन्टीफोलिया, निम्बुकुल लैटिफोलिया), शुष्कित”;
--------	------	--

- (ii) खाना 2 के नीचे, क्रम संख्या 47 के सामने, “2202 90 10” अंकों के स्थान पर “2202 99 10” अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (iii) खाना 2 के नीचे, क्रम संख्या 48 के सामने, “2202 90 20” अंकों के स्थान पर “2202 99 20” अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (iv) खाना 2 के नीचे, क्रम संख्या 49 के सामने, “2202 90 90” अंकों के स्थान पर “2202 99 90” अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (v) खाना 2 के नीचे, क्रम संख्या 50 के सामने, “2202 90 30” अंकों के स्थान पर “2202 99 30” अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(इ) अनुसूची-IV 14%

- (i) खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 163, तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“163(अ)	8701	1800 सी.सी. से अधिक क्षमता के ईंजन के अर्ध-अनुयान के लिए सडक ट्रैक्टर”।
---------	------	---

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 17th July, 2017

No.58/ST-2 -- In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.35/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.35/ST-2, dated the 30th June, 2017,-

A. In Schedule I – 2.5%, -

- (i) under column 3, against serial number 35, for the words and signs “Coffee, whether or not roasted or decaffeinated”, the words and signs “Coffee roasted, whether or not decaffeinated” shall be substituted;
- (ii) under column 1, 2 and 3, after serial number 103, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-